ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-4* Issue-2* March- 2019
Innovation The Research Concept

# पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका : बिहार के सन्दर्भ में

**प्रियंका चोपड़ा**
शोध छात्र,
राजनीति विज्ञान विभाग,
मगध विश्वविद्यालय,
बोधगया

**बी0 एन0 सिंह**
वरिष्ठ प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
मगध विश्वविद्यालय,
बोधगया

**प्रस्तावना**

भारत को विश्व का सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक सफल लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है और लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब उसमें सभी वर्गों, समुदायों और महिलाओं की सकारात्मक भागीदारी हो। इस प्रस्तुत लेख में लोकतंत्र के आधार मेाने जाने वाले पंचायती राज व्यवस्थओं में महिलाओं की भूमिका के सन्दर्भ में प्रकाश डाला गया है। स्वाधीनता के पश्चात् किस प्रकार हमारे संविधान में महिला कल्याण व सशक्तिकरण को राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक पोषण मिला तथा महिलाओं को विकेन्द्रीकृत समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किये गये वैधानिक प्रयास व कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए व्यवहार में यह कहॉ तक सफल हो पाये हैं तथा इनसे महिलाओं का जीवन कहॉ तक प्रभावित हो पाया है इसका आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं भारत के समग्र विकास की दिशा में पंचायती राज एक श्रेष्ठतम प्रयास है जिसका उद्देश्य समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के कल्याण तथा विकास का मार्ग सुनिश्चित करना है। ग्राम पंचायत व्यवस्था की पहली सीढ़ी है जिस पर जनतंत्र एवं विकास की सारी व्यवस्था अवलम्बित है।

स्वतंत्रता के पश्चात् बिहार सरकार ने सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित किया। 1961 में बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट लाया गया जिसका उद्देश्य ब्लॉक एवं जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन करना ाि। इस एक्ट में 1964 में संशोधन कर ग्राम से लेकर ब्लॉक और जिला स्तरों पर ध्यान केन्द्रित किया गया। लेकिन महिलाओं की भागीदारी की ओर कोई ध्यान न दिया गया। 1978 के बाद 22 साल की अवधि तक राज्य में कोई पंयायती चुनाव नहीं हुए। इस युग को बिहार के पंयाचती इतिहास में अंधकार युग के नाम से जाना जाता है।

ऐसी पृष्ठिभूमि में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में आशा की किरणें जगाने का काम किया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पंचायत को ऐसे कार्यों एवं शक्तियों से सम्पन्न कराना था ताकि वह वाकई में सरकारी स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्यरत रहे। इसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 को निरस्त एवं प्रतिस्थापित कर बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 किया गया।

बिहार के सन्दर्भ में यह कहना अश्योक्ति नहीं होगी कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प ुनः निर्माण हुआ है। 22 साल बाद हुए पंचायती चुनाव तथा 2006 का बिहार राज पंचायती अध्यादेश 2006 को हम नवीन पंचायती राज व्यवस्था का उदय कह सकते हैं। इसने ग्रामीण जन मानस में राजनीतिक जागृति तथा चेतना उत्पन्न करने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की।

कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित है।[1]

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान के अलावा जो स्थान शेष हैं, उसमें से 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस तरह अगर 37 प्रतिशत आरक्षित हैं तो 63 प्रतिशत अनारक्षित।[2] इसमें सभी समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान 50 प्रतिशत है। यह निर्णय अपने आप में क्रान्तिकारी है। पूरे देष में बिहार यह कदम उठाने वाला पहला राज्य है। बाद में कई राज्यों ने बिहार का अनुसरण किया। फलतः वर्ष 2006 और पुनः 2011 में करीब 50 प्रतिषत महिलाओं का चुनाव पंचायतों और ग्राम कचहरी के तमाम पदों पर हुआ। आज राज्य में करीब ढाई लाख निर्वाचित पंचायत एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि में करीब सवा लाख महिलाएँ अपने–अपने क्षेत्र में नतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए घरों से निकल पड़ी है। वर्तमान में बिहार में 2 लाख महिला पंचायत कर्मी कार्यरत् हैं।[3]

पहले महिलाओं को वोट बैंक की दृष्टि देखा जाता था। लेकिन अब चुनाव में हिस्सा लेना, प्रत्याशी बनना आदि महिलाओं की मानसिकता में परिवर्तन के साथ–साथ परिवर्तन की दिषा भी तय करते हैं। कुछ समय पूर्व तक पंचायतों में प्रायः स्थानीय स्वर्ण जाति के जमींदार या भूपति और दबंग व्यक्ति ही निर्वाचित होकर आते थे। कई पंचायतों में वे निर्विरोध चुनकर आते थे और तो और यह निर्वाचन अनुवांषिक हो गया था। अर्थात् मुखिया का बेटा मुखिया ही बनता था। धीरे–धीरे यह परम्परा टूटने लगी, अब अन्य लोग भी चुनाव में शामिल होने लगे। आरक्षण की वजह से महिलाएँ जो पहले सिर्फ मतदान करती थी या मतदान के लिए वाह्य की जाती थी, अब चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने से लेकर चुनाव में निर्वाचित होने तक का सफर तय कर रही है। चुनाव में शारीरिक होना मात्र एक शुरूआत है। अपने अधिकार व कर्तव्यों को पहचानने के लिए। इसी के द्वारा बिहार के ग्रामीण जीवन में एक नयी युग का सूत्रपात हुआ।

बिहार में पंचायतों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत महिला शक्ति अभियान के तहत महिला कोर कमेटी गठित की गयी है। कोर कमेटी द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण करने हेतु चार्टर तैयार किया जा रहा है।[4] चूँकि महिलाएँ अपने परिवार व समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को जिम्मेवारी पूर्वक समझती है। अतः स्थानीय स्तर पर उनका योगदान महत्वपूर्ण है।

गॉव में पेयजल की समस्या हो या सफाई की, सड़क की समस्या हो या स्वास्थ्य की। सभी में महिला पंचायत कर्मियों ने चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्य किया है। शिक्षा, रूढ़िवादिता, दहेज प्रथा, यौन शोषण, हिंसा गरीबी आदि सभी समस्याएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं से ही संबंधित है। अतः आज की ग्रामीण नारी यह समझने लगी है कि अपने अधिकरों के लिए लड़ने से उन्हें प्राप्त करने के लिए बौद्धिक जागरूकता के साथ आत्म निर्भरता भ जरूरी है।

गॉव में चलाए जा रहे पोलियों उन्मूलन अभियान हो या ऑगनबाड़ी की गतिविधियॉ सभी ये महिलाएँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जून 2008 में एक ही चरण के पोलियो अभियान में 3155 पंचायत कर्मियों ने भाग लिया।5 सर्व शिक्षा अभियान के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजना तथा गॉव में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना आदि में महिलाएँ अपनी भूमिका निभा रही है।

24 अप्रैल, 2007 को पटना में एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 3500 निर्वाचित महिला पंचायत कर्मियों ने हिस्सा लिया। इसे 'Aprajita'का नाम दिया गया है।[6] इसे Hunger Project के सहयोग से आयोजित किया गया। महिलाओं के पंचायत में योगदान के लिए यह एक सराहनीय कदम था।

ठस प्रकार बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 या बिहार की नई पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं के जीवन पर इस प्रकार प्रभाव डाला।

1. एक राजनीतिक नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना।
2. असम्भव से सम्भव की मानसिकता का बदलाव।
3. सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं स्वयं जीवन पर इसका प्रभाव।
4. राजनीतिक व सामाजिक नागरिकता की समझ।

5. स्थानीय शासन में आय जनता तथा अपनी स्वयं की भूमिका की समझ।
6. प्रभावशाली नेता बनने की कला का विकास।
7. परस्पर सहयोग तथा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की भावना का विकास।
8. आत्मनिर्भरता के मूल को समझना।

**समस्याएँ**

महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के समक्ष विभिन्न समस्याएँ चुनौतिपूर्ण रूप में विद्यमान है। क्योंकि कन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर जो सुविधाएँदी जा रही हैं वो कोरी और निरर्थक प्रतीत हो रही है। संविधान में संशोधन कर नए अधिकार तो शामिल किये जाते हैं लेकिन इस पुरूश प्रधान समाज में इसके क्रियान्वयन के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई जाती है। ग्रामीण महिलाएँ निरक्षर हैं। राजनीति व कानून की दांव पेंच पूर्ण बातों को वह समझ सकती और वे अपने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों या नौकरशाहों पर निर्भर होकर रह जाती है। ग्रामीण महिलाएँ अपनी रूढ़ीवादी प्रवृत्ति के कारण भेदभाव के भँवर में फँस जाती है जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। अपने परिवार के बाहर के लोगों के साथ उठना बैठना, किसी भी मुद्दे पर विचार विमर्ष करना समस्या तथा समाधान बताना। नौकरशाहों तथा अधिकारियों से बातें करना आदि महिलाओं के लिए रूढ़िवादी समाज में उचित नहीं माना जाता है। यही कारण है कि निर्वाचित महिलाएँ भी अपने सामंतवादी परिवार में मोहरें की तरह प्रयोग की जाती है। शासन की बागडोर उनके पति या श्वसुर के हाथों में होती है केवल नाम महिला पंचायत कर्मी का होता है। इसी से बिहार के स्थानीय स्वशासन में नये पर 'मुखिया पति' का उदय हुआ है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत यद्यपि मुखिया पति को कोई शक्ति नहीं दी गई हो फिर भी वह अपनी मुखिया पत्नी की सारी जिम्मेदारियॉ होते हैं और मुखिया पति कहलाते हैं। गॉव में मुखिया पति का पद भी गौरवशाली माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जिसे वे प्राप्त होता है उसका वंष सुघर जाता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए कानून तो बनते हैं परन्तु वे इनसे अनभिज्ञ हैं जिसके चलते महिलाओं के प्रति अपराधों का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है। ग्रामीण महिलाएँ को यौन शोषण, अपहरण, घरेलू हिंसा, बलात्कार आदि समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आज की गॉव की महिला में वित्तीय आत्मनिर्भरता का अभाव है। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण पति का दर्जा पत्नी से ऊँचा मान लिया जाता है तथा पत्नी स्वयं को सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रखती है। गॉव में अभी भी पति पत्नी को एक बराबर समझने वाली मानसिकता का विकास नहीं हो पाया है।

R. Sandhu- Additional Secretary- Ministry की P. Rg.ने कहा था कि ''यद्यपि कई पंचायत महिला कर्मियों को पारिवारिक सहयोग मिलता है लेकिन वह शासन की विभिन्न प्रकार की योजनाओं में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेने लगती है तो यही परिवार के सदस्य शिकायत करते हैं कि आप घर से बाहर अत्यधिक समय व्यतीत कर रही है।''[7]

**समाधान**

1. ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाय ताकि वे राजनीतिक को समझ सकें तथा उसमें भाग ले सकें, ये तभी सम्भव है जब वे शिक्षित होंगी।
2. ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक पूँजी की व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। एक या एक से अधिक महिलाओं के समह को अधिक से अधिक पूँजी का एकत्रीकरण करके सामाजिक स्तर पर कुछ विकास कार्य करना चाहिए जिससे सामाजिक विकास के साथ–साथ व्यक्तिगत विकास भी संभव हो सके।
3. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन इसका लाभ तभी मिल सकेगा जब ग्राम स्तर पर महिलाओं को इससे उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

4. ग्रामीण परिवेश में एक जागरूक माता हो अपने बच्चों को एक स्वच्छ राजनीति की ओर प्रेरित कर सकती है, इसलिए ऐसी संस्थाएँ बनायी जाए तो ग्रामीण महिलाओं को नई चेतना उत्पन्न करे।
5. वैश्विक स्तर पर तृतीय विश्व के देशो के उत्थान के लिए The Hunger Project नाम से एक संगठन बनाया गया।8 भारत में एक संगठन महिलाओं को सषक्त करना, उनको आत्मनिर्भर बनाया तथा उनमें राजनीतिक चेतना का विकास करने की दिषा में कार्य कर सकता है। ग्रामीण परिवारों को अपने घर की महिलाओं को ऐसे संगठन का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
6. ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में भागीदारी हेतु समय–समय पर राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
7. ग्रामीण महिलाओं के दयनीय दशा को सुधारने हेतु मीडिया की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए।
8. ग्रामीण महिलाओं के उत्थान हेतु नागरिक समाज को उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अधिकारों के साथ–साथ उन्हें स्वास्थ्य मानवीय व्यवहार, समान अवसर व महत्व भी प्रदान किया जाना चाहिए। इसके लिए समानता पर आधारित पारिवारिक तथा सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन प्रणाली विकसित करनी होगी जिसमें महिलाएँ भेदभाव रहित और उत्साहवर्द्धक वातावरण पाकर अपनी निहित क्षमताओं का उापयोक कर अपने उद्देष्य तथा राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सराहनीय योगदान दे सकें।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची**

1. *बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006*
2. *बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006*
3. *The Time of India April, 17,2012*
4. *India Today- 15 Dec. 2011, P. 23*
5. *Women and work: Issues and Strategies ILO-2009*
6. *WWW.panchayat.nic.in*
7. *ICSSR Programme of women's studies, New Delhi,2011*
8. *WWW.panchayat.nic.in*